सत्यमेव जयते

कुलाधिपति
Chancellor

डॉ. भीमराव अम्बेड़कर विधि विश्वविद्यालय,
..................................University,
राज भवन, जयपुर – 302006
Raj Bhawan, Jaipur
क्रमांक : एफ.54(1)आरबी/2020/6737
दिनांक : 27 दिसम्बर, 2022

आदेश

राजभवन के आदेश क्रमांक 1447 दिनांक 27.02.2020 के माध्यम से डॉ. देवस्वरूप को डॉ. भीमराव अम्बेड़कर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर के प्रथम कुलपति के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अनधिक अवधि के लिए नियुक्त किया गया था।

डॉ. देवस्वरूप द्वारा कुलपति, डॉ. भीमराव अम्बेड़कर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर के पद पर कार्यभार दिनांक 02.03.2020 को पूर्वान्ह में संभाला गया।

डॉ. देवस्वरूप द्वारा अपने पत्रांक अ.वि.वि./कुलपति/2021–22/291 दिनांक 16.12.2022 द्वारा कुलपति के पद से दिनांक 26.12.2022 से कार्यमुक्त किये जाने हेतु अनुरोध किया गया। डॉ. भीमराव अम्बेड़कर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर के अधिनियम, 2019 की धारा 11(11) एवं 11(12) के तहत आदेश क्रमांक 6553 दिनांक 20.12.2022 द्वारा डॉ. देवस्वरूप का त्याग पत्र दिनांक 26.12.2022 से स्वीकार कर लिया गया है।

अतः मैं, कलराज मिश्र, राज्यपाल राजस्थान एवं कुलाधिपति, डॉ. भीमराव अम्बेड़कर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर उक्त विश्वविद्यालय के अधिनियम 2019 की धारा 11(9) व 11(10) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार की सलाह से डॉ. देवस्वरूप के स्थान पर प्रो. सुधि राजीव, कुलपति, हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर को अग्रिम आदेशों तक कामचलाऊ व्यवस्था अन्तर्गत (Stop gap arrangement) अतिरिक्त प्रभार के रूप में डॉ. भीमराव अम्बेड़कर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर के कुलपति पद के कृत्यों के निर्वहन के लिए निर्देशित करता हूँ।

-Sd-

(कलराज मिश्र)
राज्यपाल, राजस्थान एवं कुलाधिपति

क्रमांक : एफ.54(1)आरबी / 2020 / 6738 दिनांक : 27 दिसम्बर, 2022

प्रतिलिपि निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. प्रो. सुधि राजीव, कुलपति, हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. कुलसचिव, डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर।
6. कुलसचिव, हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर।

प्रमुख सचिव
राज्यपाल, राजस्थान